न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (सर्किल कोर्ट)
रीवा सम्भाग रीवा (म0प्र0)

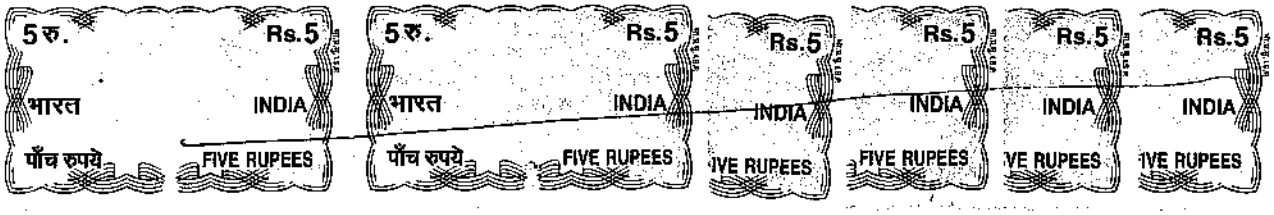

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 5190-II/16 रु-30/—

राममिलन चौधरी तनय कल्लू उर्फ कोलइया चमार, उम्र 50 वर्ष, निवासी—रामपुर चौरासी, तहसील रघुनाथ नगर, जिला सतना (म0प्र0)

श्री रामलोचन विश्वकर्मा एड (द्वारा पेश) 25-4-16

....................निगराकार

बनाम

1— भोला हरिजन तनय चुनवादी हरिजन आयु 60 वर्ष, पेशा—मजदूरी,

2— रामचरण तनय भोला, उम्र 38 वर्ष,

3— अमृत लाल तनय भोला हरिजन, उम्र 32 वर्ष,
सभी निवासी—ग्राम रामपुर चौरासी, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना (म0प्र0)

................गैरनिगराकारगण

निगरानी खिलाफ आदेश तहसीलदार वृत्त रैगांव, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना म0प्र0 जरिये प्र0क्र0 27अ6/2013—14 आदेश अनुवृत्ति <u>दिनांक 13/04/2016</u>

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 <u>भू—राजस्व संहिता 1959 ई0</u>

मान्यवर,

<u>निगराकार निम्न निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैं :—</u>

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वृत्त रैगांव, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना म0प्र0 जिसे आगे चलकर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. -5190-दो–.2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश राममिलन चौधरी / भोला हरिजन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–05–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता उपस्थित उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में वही तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हे यहां दुहराया जाकर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचालित नामांतरण कार्यवाही में आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए सजरा खानदान भी प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उभयपक्षों द्वारा भिन्न–भिन्न सजरा प्रस्तुत करने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृतक खातेदार के जायज वारिस कौन है। नायब तहसीलदार द्वारा यह अंकित करते हुए कि प्रकरण आपत्ति कर्ता की आपत्ति के निराकरण हेतु नियत था आपत्ति कर्ता की आपत्ति निरस्त कर प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु नियत किए जाने के आदेश दिनांक 13.0.16 दिए गये जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों से यह प्रकट हो रहा है कि नायब तहसीलदार द्वारा मात्र आपत्ति कर्ता आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर प्रकरण अनावेदक के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जबकि नायब तहसीलदार को अपने स्वयं के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष कि दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत भिन्न भिन्न सजरा खानदान से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मृतक भूमिस्वामी के जायज वारिस कौन हैं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को उभयपक्ष आवेदक एवं अनावेदक के साक्ष्य हेतु नियत कर दोनो पक्षों के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामभिलन चौधरी / भोला हरिजन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

साक्ष्य लेकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाना चाहिए थी। यद्यपि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश में निष्कर्ष सही अभिलिखित किए गये है किन्तु आपत्ति कर्ता के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत न कर उसकी आपत्ति सीधे निरस्त करने में त्रुटि की गयी है। नायब तहसीलदार को चाहिए था कि वे प्रकरण दोनो पक्षों के साक्ष्य हेतु नियत करते।

परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 13.4.16 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष के साक्ष्य आदि लेकर अभिलेखीय आधार पर बोलते स्वरूपक का विधि संगत आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि.हो।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य